हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजनान्तर्गत नोडल एजेन्सी मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में हज भवन, पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम हेतु नामांकन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशः—

1. **प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित आवेदकों को दिनांक 30.07.2023 से 31.07.2023 हज भवन स्थित बिहार राज्य हज समिति के कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में अपना नामांकन कराना अनिवार्य है। कोचिंग/वर्ग संचालन दिनांक 02.08.2023 से आरम्भ करने की योजना है।**
2. **आवासीय कोचिंग कार्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थी दिनांक 30.07.2023 अथवा 31.07.2023 को अपने नामांकन हेतु कार्यालय अवधि में हज भवन, पटना आकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगें।**
3. नामांकन हेतु आने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह पूरी तैयारी से नामांकन हेतु हज भवन, पटना में आऐं। नामांकन के पश्चात घर जाने की अनुमति नही होगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग की ओर से नामांकन के समय अभ्यर्थी को गद्दा, चादर, तकिया, पानी का बोतल, गिलास, चम्चा एंव मच्छरदानी इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कोचिंग के इच्छुक नामांकन कराने वाले आवेदकों को आवासन, कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जबकि हज भवन के मेस में मिनू के अनुरूप तीनो समय के भोजन एवं चाय हेतु उन्हें 4500/—(चार हजार पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह अग्रिम एंव 5000/—(पाँच हजार) रूपये सुरक्षित जमा राशि जमा करना होगा।
5. विषयांकित आवासीय कोचिंग तीन महीने का होगा जो सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा तक जारी रहेगा एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन केन्द्र बिन्दु रहेगा। कोचिंग हेतु नामांकन कराने वाले सभी आवेदकों को हज भवन परिसर में ही अपना आवासन रखना पड़ेगा तथा बिना समन्वयक/निर्देशक की पूर्वानुमति के परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
6. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने वालों की सूची मे सक्षम शिक्षकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या मे पूर्व में सफल प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।
7. अतिरिक्त जानकारी के लिए हज भवन, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

8. आवेदकों को नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र की **स्वअभिप्रमाणित** छाया प्रति संलग्न करना **आवश्यक** है :–

(क) 69वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का फार्म की प्रति।

(ख) मैट्रिक / 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)।

(ग) स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

(घ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय–पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड / वोटर आई0डी0 / पासपोर्ट इत्यादि)।

(ड) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछडा वर्ग / अत्यंत पिछडा वर्ग का क्रीमीलेयररहित / जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

9. नामांकन के उपरान्त सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराये गये निर्धारित हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी।

10. अतिरिक्त जानकारी हेतु तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर दूरभाष संख्या–0612–2203315 एवं 9097171909 अथवा 7070810696 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

समन्वयक
हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग
सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य हज समिति, पटना।